ए.के.सीकरी, सीजे, हेमन्त गुप्ता, राजीव नारायण रैना, जे.के.समक्ष

राम मूर्ति सरीन और अन्य-वादी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2012 का CWPNo.18567

1 फरवरी 2013

भारत का संविधान, 1950- 226, 227-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1884-भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण-अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित भूमि-पुरस्कार प्रकाशित-भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती-रिट याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की भूमि के विमोचन के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन - उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करना-रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई भूमि को जारी करने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाला उच्चाधिकार प्राप्त समिति का आदेश-क्या किसी भूमि या उसके हिस्से को जारी करने की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के लिए राज्य की रियायत अधिनियम की योजना के विपरीत है-क्या न्यायालय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से भूमि को जारी करने के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दे सकता है-यह माना गया कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण की जानकारी लेने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति के भीतर है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा और वह भी अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी समिति गठित करने के लिए सक्षम है जो वह उचित समझती है। लेकिन एक बार अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, पुरस्कार की घोषणा करने से पहले राज्य सरकार के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान के संदर्भ में पुरस्कार की मंजूरी है, राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 15ए के तहत कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में अवैधताओं और अनियमितताओं को ठीक करने का अधिकार क्षेत्र भी है। राज्य सरकार की ऐसी शक्ति अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद की कार्यवाही के संबंध में है, क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के समय राज्य की संतुष्टि दर्ज की गई थी, लेकिन पूरी तरह से राज्य में भूमि के निहित होने से पहले। ऐसी शक्ति कलेक्टर द्वारा पारित किसी निष्कर्ष या आदेश की वैधता और औचित्य को संतुष्ट करने या ऐसी किसी कार्यवाही की अनियमितता के बारे में सीमित है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 ए के तहत राज्य सरकार की शक्ति केवल उन मुद्दों के संबंध में है, जो कलेक्टर को अधिनियम की धारा 6 i.e के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद करने का अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम की धारा 9 से 11 के संदर्भ में मुआवजे का निर्धारण। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने वाली राज्य सरकार अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार स्वीकृत होने के बाद भी पुरस्कार को मंजूरी नहीं देकर या मुआवजे का भुगतान नहीं करके कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन एक बार जब पुरस्कार की घोषणा की जाती है, मुआवजा जमा किया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है, तो भूमि राज्य के पास सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है। राज्य सरकार भूमि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त मान सकती है।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसलिए विधि के सिद्धांतों के ऐसे प्रतिपादन के आलोक में कि राज्य सरकार को भूमि सौंपने के पश्चात् राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से ही अधिग्रहण से पीछे हट सकती है और अन्यथा नहीं।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि तथापि, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व या अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में अधिग्रहण से वापस लेने का निर्णय लेने से पूर्व किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से रिपोर्ट या सुझाव ले सकती है, जिसमें उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी शामिल है। लेकिन अधिग्रहण वापस लेने का अंतिम आदेश राज्य सरकार से आना चाहिए न कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति से।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन से पहले या अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से वापसी के समय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर सकती है। लेकिन अधिनियम की धारा 15ए के तहत शक्ति अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रयोग में पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के समान है और इसका प्रयोग प्राकृतिक न्याय, समानता और सद्भावना के सिद्धांतों के साथ-साथ कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

(i) राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण की राय लेने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों के भीतर है, यानी i.e। धारा 6 के तहत या अधिनियम की धारा 48 के तहत लेकिन अंतिम निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा और अधिसूचना के माध्यम से भी हो सकता है; और

(ii) लेकिन यदि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा घोषित पुरस्कार के अनुसार कब्जा नहीं लिया गया है, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बिना अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति दे सकती है, यदि वह अब भूमि अधिग्रहण में रुचि नहीं रखती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नीरज गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष अग्रवाल।
हरियाणा के महाधिवक्ता श्री हवा सिंह हुड्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कमल सहगल के साथ।
प्रतिवादी Nos.1 से 5 के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा।
डी. वी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, हरित शन्ना के साथ, प्रतिवादी नं 6.

हेमंत गुप्ता, जे।

(1) वृहद न्यायपीठ द्वारा प्राधिकृत विनिश्चय के लिए इस न्यायालय की डिवीजन न्यायपीठ के 19.09.2012 के आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होने के बारे में कहा जा सकता हैः "

(i) क्या राज्य की रियायत से यह निर्धारित करने के लिए कि अधिग्रहित भूमि के किसी भाग या भाग को जारी करने की आवश्यकता है या नहीं, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना अधिनियम की योजना के विपरीत है?

(ii) क्या न्यायालय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से भूमि जारी करने के प्रश्न पर प्रत्यक्ष विचार कर सकता है?

(2) उक्त प्रश्न इस तथ्य से उत्पन्न हुए हैं कि याचिकाकर्ताओं और अन्य भूमि-स्वामियों की 3325.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना था, जिसका नाम था 'आवासीय और वाणिज्यिक, सेक्टर-2, सोनीपत के रूप में विकास और उपयोग के लिए' अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 के तहत जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5ए के तहत विचार के अनुसार उक्त अधिसूचना पर आपत्तियां दायर कीं। लेकिन बाद में भूमि मालिकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 18.10.2002 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें 8-10 एकड़ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जारी किया गया था।

धारा 6 अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, याचिकाकर्ताओं ने आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए उपनिवेशक/बिल्डरों के साथ एक सहयोग समझौता किया।इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने अपने उपनिवेशक/बिल्डरों के माध्यम से 13.09.2004 को हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 और पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र विनियमित विकास अधिनियम, 1963 के तहत लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 14.10.2004 को भूमि के संबंध में भी अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिका में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को उपनिवेशक के माध्यम से रुपये के घाटे का लाइसेंस शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था। 56,43,602/- दिनांक 17.12.2004 के संचार के माध्यम से।

(3) याचिकाकर्ताओं ने सीडब्ल्यूपी नं. 2004 का 18423 चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं का भौतिक कब्जा खतरे में था क्योंकि पुरस्कार की घोषणा की जानी थी। लेकिन उक्त रिट याचिका को वापस ले लिया गया। तत्पश्चात, 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या. 7992 और 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या. 7997 वाली दो अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं। उक्त याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, राज्य ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों की जांच करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की इच्छा व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं के साथ अन्य रिट याचिकाओं के समूह को इस न्यायालय द्वारा 16.07.2005 को निम्नलिखित आदेश पारित करके निपटाया गया थाः "शुरुआत में, श्री हवा सिंह हुड्डा, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के लिए तैयार हैः

1. वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़।
2. निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़।
3. अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, हरियाणा, चंडीगढ़।
4. मुख्य नगर योजनाकार, हरियाणा, चंडीगढ़।

श्री हुड्डा का कहना है कि उपरोक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों की जांच करेगी और यदि याचिकाकर्ता सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त शिकायतों का विवरण देते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करते हैं, तो उपरोक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। श्री हुड्डा द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि उपरोक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति प्रत्येक मामले में भूमि मालिकों के प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगी और उसके बाद मामले में निर्णय लेगी। श्री हुड्डा ने यह भी कहा है कि उपर्युक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्णय लेने से पहले समिति द्वारा एक नीति तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर विभिन्न याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की जांच की जाएगी और समिति द्वारा पिछली नीतियों और पहले के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नीति तैयार की जाएगी। उपर्युक्त नीतिगत निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक रिट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उपर्युक्त समिति का गठन 31 जुलाई, 2005 को या उससे पहले किया जाएगा और नीति तैयार की जाएगी और 12 अगस्त, 2005 को अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में उपलब्ध होगी।

विद्वान महाधिवक्ता द्वारा किया गया प्रस्ताव विभिन्न रिट याचिकाकर्ताओं में उपस्थित याचिकाकर्ताओं के लिए सभी विद्वान वकीलों को विधिवत संतुष्ट करता है। रिट याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता 31 अगस्त, 2005 को या उससे पहले अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में विभिन्न सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायतों में विस्तृत अभ्यावेदन विवरण दाखिल करेंगे।

उपर्युक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उपरोक्त समिति याचिकाकर्ता (ओं) या उसके/उनके प्रतिनिधियों (ओं) को एक तिथि सूचित करेगी जिस तारीख को उपरोक्त अभ्यावेदन पर उपरोक्त समिति द्वारा

विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता) या उनके प्रतिनिधि उपर्युक्त तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि यदि उपरोक्त तिथि पर याचिकाकर्ता या उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो समिति अभ्यावेदन के आधार पर स्वयं अंतिम निर्णय लेने की हकदार होगी।
श्री हुड्डा बहुत दयालु हैं, उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले का कोई भी प्रतिकूल निर्णय वर्तमान उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा मामले पर पुनर्विचार को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक समिति द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और 15 दिनों की और अवधि के लिए, याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।
पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-क के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उस अवधि के लिए जिसके लिए रिट याचिकाकर्ताओं के निपटान पर रोक रहेगी/रही है, यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अंतिम निर्णय की घोषणा के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी स्वीकार किया कि यदि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर शेष भूमि मालिकों के संबंध में निर्णय सुनाने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जो वर्तमान रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।
वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा पक्षों के विद्वान वकील की उपरोक्त सहमति के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं को समिति के अंतिम निर्णय के बाद कोई और शिकायत बची रहने की स्थिति में फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता होगी।
आदेश की एक प्रति हरियाणा के विद्वत महाधिवक्ता को कार्यालय द्वारा किसी भी आरोप के बिना और सामान्य शुल्क के भुगतान पर पक्षों के लिए विद्वत वकील दस्ती को उपलब्ध कराई जाए।

(4) याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उपनिवेशक/बिल्डरों के माध्यम से प्रस्तुत लाइसेंस के लिए उनका आवेदन विचाराधीन था, लेकिन विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा दी गई रियायत के संदर्भ में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भूमि जारी करने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया, इस कारण से कि लाइसेंस देने के लिए आवेदन वापस कर दिया गया था और डेवलपर को दिनांक 06.09.2012 के संचार के माध्यम से सूचित किया गया था। इस रिट याचिका में चुनौती उच्चाधिकार प्राप्त समिति के आदेश को दी गई है।

(5) जब वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो यह देखा गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन न केवल अधिनियम में निहित अधिग्रहण की योजना है, बल्कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन है। एक बार पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद, भूमि राज्य सरकार के पास सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है और राज्य अधिनियम की धारा 48 के तहत राज्य के किसी भी भूमि के अधिग्रहण से वापस लेने के अधिकार के अधीन कब्जा करने के लिए सक्षम है, और वह भी अधिसूचना द्वारा। चूंकि बड़ी संख्या में मामलों में, राज्य सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को स्वीकार किया है, इसलिए पीठ ने पाया कि अपनाई गई ऐसी प्रक्रिया अतिरिक्त कानूनी प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में यह मामला उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

(6) दाखिल किए गए उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिप्रेरित किया गया है कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 15क के अधीन पारित किए गए निष्कर्षों या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख मंगाने का अधिकार है और वह ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे। चूंकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाते

हुए बड़ी संख्या में रिट दायर किए गए थे, इसलिए सरकार के लिए अधिग्रहण से संबंधित रिकॉर्ड को बुलाकर और वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इसकी जांच करके प्रक्रिया की जांच करने की पेशकश करना उचित था। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत उपलब्ध सक्षम शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे भूमि-मालिकों की शिकायतों की फिर से जांच करने की पेशकश की है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न भूमि-मालिकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए नीतिगत मापदंड तैयार किए। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ऐसे सभी याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया है और कानून के अनुसार उनके अभ्यावेदन का निर्णय लिया है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आशीष अग्रवाल ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं और ऐसे अन्य भूमि-मालिकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की पेशकश की है।यह तर्क दिया जाता है कि यदि उच्चाधिकार प्राप्त समिति भूमि जारी करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी, तो याचिकाकर्ताओं को पिछली याचिका के पुनरुद्धार की मांग करके अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार होगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है।

(8) दूसरी ओर, हरियाणा के महाधिवक्ता श्री हवा सिंह हुड्डा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी समिति का गठन कर सकती है, जो वह उचित समझती है। इस प्रकार, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन में कुछ भी अवैध नहीं है।

(9) इससे पहले कि हम पक्षकारों के विद्वत वकील द्वारा उठाए गए संबंधित तर्कों पर विचार करें, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के कुछ वैधानिक प्रावधानों को निकालने की आवश्यकता है। वही नीचे पढ़ा गया हैः

(10) यह घोषणा कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है-(1) अधिनियम के भाग VI1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब उपयुक्त सरकार को धारा 5क, उपधारा (2) के अधीन की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी विशेष भूमि की आवश्यकता किसी लोक प्रयोजन के लिए है या किसी कंपनी के लिए है, तो ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन उस आशय की घोषणा की जाएगी और धारा 4, उपधारा (1) के अधीन एक ही अधिसूचना द्वारा आच्छादित किसी भूमि के विभिन्न अंशों के संबंध में समय-समय पर भिन्न-भिन्न घोषणाएं की जा सकती हैं, चाहे धारा 5क, उपधारा (2) के अधीन जहां कहीं भी अपेक्षित हो, एक रिपोर्ट या भिन्न-भिन्न रिपोर्ट की गई हो या की गई हो।

(11) कलेक्टर द्वारा पूछताछ और अधिनिर्णय-बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कलेक्टर द्वारा कोई भी अधिनिर्णय उपयुक्त सरकार या ऐसे अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, जिसे उपयुक्त सरकार इस संबंध में प्राधिकृत करेः

"आईएसए की रिकॉर्ड आदि के लिए कॉल करने की शक्ति। उपयुक्त सरकार, धारा 11 के अधीन कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय किए जाने से पूर्व किसी भी समय, पारित किए गए किसी निष्कर्ष या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से किसी कार्यवाहियों (चाहे जांच के माध्यम से या अन्यथा) का कोई अभिलेख

मंगवा सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है या उसके संबंध में ऐसा निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे;

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना किसी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल कोई आदेश या निर्देश पारित या जारी नहीं करेगी?

(12) कब्जा लेने की शक्ति-जब कलेक्टर धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय दे देता है, तो वह उस भूमि का कब्जा ले सकता है, जो सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित होगी?48. (1) धारा 36 में उपबंधित मामले को छोड़कर, सरकार ऐसी किसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है।
(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस या उसके तहत किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, और इच्छुक व्यक्ति को उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उसके द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्चों के साथ ऐसी राशि का भुगतान करेगा।
(3) इस अधिनियम के भाग-3 के उपबंध इस धारा के अधीन देय प्रतिकर के अवधारण पर, जहां तक हो सके, लागू होंगे।
(ए) पुरस्कार की घोषणा से पहले राज्य सरकार की भूमिका
(10) अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के इरादे के प्रारंभिक प्रकाशन से शुरू होने वाली भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में राज्य सरकार की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। सबसे पहले राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 5 ए के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना है ताकि यह संतोष दर्ज किया जा सके कि धारा 4 के तहत अधिसूचित भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाना आवश्यक है।

(11) एक बार धारा 6 की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, यह कलेक्टर है, जिसे मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक जांच करनी है और अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में पुरस्कार की घोषणा करनी है, हालांकि पुरस्कार को अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा की जाने वाली ऐसी जांच अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है, जो मुआवजे की राशि के संबंध में रुचि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार को निर्धारित करती है और उन्हें मुआवजे की वृद्धि की मांग करने का अवसर देती है, यदि कोई भूमि मालिक इस प्रकार दिए गए मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है। पुरस्कार की घोषणा के बाद, यह कलेक्टर ही है जो उस भूमि का कब्जा लेता है, जो राज्य के पास सभी बाधाओं से मुक्त होती है।

(12) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी समिति का गठन करने के लिए सक्षम है। लेकिन एक बार अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, पुरस्कार की घोषणा करने से पहले राज्य सरकार के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान के संदर्भ में पुरस्कार को मंजूरी देना है। राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 15ए के तहत कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में अनियमितताओं और अनियमितताओं को ठीक करने का अधिकार क्षेत्र भी है। राज्य सरकार की ऐसी शक्ति अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद की कार्यवाही के संबंध में है, क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के समय राज्य की संतुष्टि दर्ज की गई थी, लेकिन पूरी तरह से राज्य में भूमि के निहित होने से पहले। ऐसी

शक्ति कलेक्टर द्वारा पारित किसी निष्कर्ष या आदेश की वैधता और औचित्य को संतुष्ट करने या ऐसी किसी कार्यवाही की अनियमितता के बारे में सीमित है।

(13) अधिनियम की धारा 15 ए के तहत राज्य सरकार की शक्ति केवल उन मुद्दों के संबंध में है, जो कलेक्टर को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद करने का अधिकार क्षेत्र है i.e। अधिनियम की धारा 9 से 11 के संदर्भ में मुआवजे का निर्धारण। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने वाली राज्य सरकार अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार स्वीकृत होने के बाद भी पुरस्कार को मंजूरी नहीं देकर या मुआवजे का भुगतान नहीं करके कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन एक बार जब पुरस्कार की घोषणा की जाती है, मुआवजा जमा किया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है, तो भूमि राज्य के पास सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है। राज्य सरकार भूमि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त मान सकती है।

(बी) पुरस्कार की घोषणा के बाद राज्य सरकार की भूमिका

(14)भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा पुरस्कार की घोषणा करने और अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में कब्जा लेने के बाद, भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार के पास पूरी तरह से निहित हो जाती है। बड़ी संख्या में, भूमि मालिक कब्जा लेने में राज्य सरकार की कार्रवाई पर विवाद करते हैं। जिन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए वे हैं: (i) जब भूमि अधिग्रहण कलेक्टर मुआवजे की राशि जमा करता है और प्रतीकात्मक कब्जा लेता है; या (ii) जब मुआवजा जमा होने के बाद, वास्तविक भौतिक कब्जा लिया जाता है।

(15) उच्चतम न्यायालय ने प्रहलाद सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1) रघबीर सिंह सहरावत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2) और पतासी देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2012 की सिविल अपील संख्या. 6183) वाले मामले में 29.08.2012 को निर्णय लिया है।

(16) भूमि-स्वामी का इस कारण से अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार कि वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, पुरस्कार की घोषणा के बाद अधिग्रहण से पीछे हटने के राज्य सरकार के अधिकार से अलग आधार पर खड़ा होगा। पुरस्कार की घोषणा की जाती है और अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। एक बार जब राज्य सरकार मुआवजे की राशि को मंजूरी दे देती है और कलेक्टर पुरस्कार की घोषणा कर देता है; मुआवजे की राशि जमा कर दी जाती है और पुरस्कार में कहा जाता है कि कब्जा ले लिया गया है, तो भूमि का निहित होना राज्य के पक्ष में पूरा हो जाता है, हालांकि भूमि-मालिक को अभी भी ऊपर उल्लिखित निर्णयों के संदर्भ में अधिग्रहण का आरोप लगाने का अधिकार हो सकता है। इसके बाद राज्य सरकार पुरस्कार की घोषणा, मुआवजे की राशि जमा करने और कब्जा लेने के पाठ के बाद अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा ही अधिग्रहण से पीछे हटने का कार्य कर सकती है।

(17) मुरारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 48 के दायरे की जांच की। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक संचार के माध्यम से अधिग्रहण से वापसी अमान्य है। इसे निम्नानुसार देखा गया: "17. यहां धारा 48 के तहत भूमि को जारी करने और कानून के तहत इसकी वैधता के सवाल पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। चंद्र बंसी सिंह और अन्य की सहजता में। बनाम बिहार राज्य और अन्य। 1984 एस. सी. सी. पृष्ठ 316 इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि शायद अपीलार्थी इस न्यायालय को पूरी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए राजी करना चाहते थे ताकि जब एक नई अधिसूचना जारी की जाए तो वे अधिग्रहण किए जाने और वास्तविक कब्जा किए जाने की अवधि के बीच में भूमि

और अन्य वस्तुओं की कीमत में अचानक उछाल और वृद्धि को देखते हुए अधिक मुआवजा प्राप्त कर सकें। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि तर्क की उपरोक्त प्रक्रिया को बरकरार रखना स्वीकार्य नहीं है। रिलीज को खराब घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धारा 4 के तहत जारी की गई पूरी अधिसूचना को वैध माना जाएगा और विशेष रूप से भूमि मालिक की भूमि अधिग्रहण का हिस्सा होगी। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिलीज कलेक्टर का एक अलग और बाद का कार्य होने के कारण, पूरी अधिसूचना को अमान्य नहीं कर सकता है, लेकिन केवल जारी किए गए हिस्से को अमान्य कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप मूल अधिसूचना को अपनी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा जैसा कि इसकी अधिसूचना की तारीख पर था। यह मानते हुए कि कुछ भूमि मालिकों से संबंधित भूमि के कुछ क्षेत्रों को जारी किया गया था, पूरी अधिसूचना को अमान्य नहीं किया जा सकता था, आगे इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम उमा शंकर राजाभाउ और जेटी 1995 (8) एससी 508 में दिए गए एक हालिया निर्णय में रिपोर्ट के पैरा 3 में इस प्रकार विचार लियाः-"यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिसूचना में परिवर्तन को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, सरकार द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया गया था। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इन तीनों भूखंडों के संबंध में अपील में इसे चुनौती दी जा रही है। एक निवेदन किया गया था कि निगम को कर्मचारियों के लिए इन तीन भूखंडों की आवश्यकता नहीं है। जब तक अधिग्रहण से वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की जाती है, तब तक अदालत लाभार्थी की ओर से बाद में किसी भी अनिच्छा का संज्ञान नहीं ले सकती है।

18. U.P. के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक अन्य निर्णय में भी यही विचार व्यक्त किया गया था। जल निगम बनाम मेसर्स कालरा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड मामले के इस दृष्टिकोण में, भले ही हम यह मान लें कि अधिग्रहण से कुछ भूमि को छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना के अभाव में इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता था।मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड आदि में बनाम गुजरात राज्य और अन्य सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत व्यक्त कियाः

"30. श्री साल्वे द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 48 में किसी भी अधिसूचना को जारी करने पर विचार नहीं किया गया है और अधिग्रहण से वापस लेना आदेश द्वारा सरल हो सकता है। उन्होंने कहा कि धारा 4 और 6 में उन प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी किए जाने की बात की गई थी, लेकिन धारा 48 में ऐसा कोई आदेश नहीं था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि जब कानून में अधिग्रहण से वापसी के लिए कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ सही नहीं था। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार हैः " जारी करने की शक्ति, अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपनियमों में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या निरस्त करने की शक्ति को शामिल करने की शक्ति। जहां किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा अधिसूचना आदेश, नियम या उपनियम जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां उस शक्ति में समान तरीके से प्रयोग करने योग्य शक्ति और समान मंजूरी के अधीन, और इस तरह जारी की गई किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने की शर्तें, यदि कोई हों, शामिल हैं।
श्री साल्वे ने कहा कि धारा 21 में अधिसूचना आदि जारी करने के लिए दी गई शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। एक अधिनियम या विनियमों के तहत और इसके तहत उस स्थिति में इसी तरह से किसी भी अधिसूचना को वापस लेने या रद्द करने की शक्ति शामिल थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि जब धारा 48 राज्य सरकार को कोई अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं देती है और इसे उस प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है कि वापसी एक अधिसूचना द्वारा जारी की जानी थी। इसलिए, उनका तर्क यह प्रतीत होता है कि धारा 48 के स्तर पर पहुंचने से पहले सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 की सही व्याख्या पर, राज्य सरकार पूर्व अधिसूचनाओं को वापस लेने या रद्द करने की अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को वापस ले

सकती है और यही अधिग्रहण कार्यवाही का अंत होगा। हमें नहीं लगता कि श्री साल्वे अपनी दलीलों में बिल्कुल सही हैं। जब धारा 4 और 6 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, तो अधिग्रहण प्रक्रिया की दिशा में बहुत कुछ किया गया है और उस प्रक्रिया को केवल उन अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए नहीं बदला जा सकता है। बल्कि यह धारा 48 है जिसके तहत, अधिग्रहण से वापसी के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान मालिक को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाता है और उसे दिया जाता है। इसलिए, यह निहित है कि अधिग्रहण से निकासी को अधिसूचित किया जाना चाहिए।
31. इसलिए, कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का निर्णय लेती है, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है, तो आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है।

(19) उच्चतम न्यायालय ने शांति स्पोर्ट्स क्लब और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (5) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में निम्नानुसार अवलोकन कियाः
(20) एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 48 (1) के अधीन सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बारे में व्यापक रूप से जनता को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति में रुचि रखने वाले लोग जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है या संबंधित कंपनी उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर या अदालत के हस्तक्षेप की मांग करके ऐसी निकासी पर प्रश्न उठा सके। यदि भूमि अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के निर्णय को गुप्त रखा जाता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बेईमान भूमि मालिक, उनके एजेंट और व्हीलर डीलर बिजली गलियारों में तार खींच सकते हैं और गुप्त रूप से भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करा सकते हैं और इस तरह उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर सकते हैं जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी तरह, जिस कंपनी की ओर से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के अप्रकाशित निर्णय से अपूरणीय नुकसान हो सकता है।

(28) भूमि के अधिग्रहण से वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता भी नगर समिति, भटिंडा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य (1993) 3 SCC 24 (पैरा 8) U.P. में इस न्यायालय के निर्णयों से अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य चीनी निगम लिमिटेड बनाम U.P. राज्य। और अन्य (1995) अनुप 3 SCC 538 (पैरा 3) महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य बनाम उमाशंकर राजाभाउ और अन्य (1996) 1 SCC 299 (पैरा 3) और T.N. और अन्य बनाम एल. कृष्णन और अन्य (1996) 7 एससीसी 450 (para 7). लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 387 में, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अधिनियम की धारा 48 (1) के अधीन शक्ति का उपयोग सरकार द्वारा अधिग्रहण के लाभार्थी को वापस लेने के तथ्य को अधिसूचित किए बिना किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि धारा 4 और 6 के विपरीत, अधिनियम की धारा 48 (1) किसी भी अधिसूचना को जारी करने पर विचार नहीं करती है और अधिग्रहण से वापसी एक आदेश सरलीकरण द्वारा की जा सकती है। आगे यह तर्क दिया गया कि धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को वापस लेने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तर्क को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

(20) एक अन्य निर्णय, जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता है, वह है राजेंद्र सिंह भट्टी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (6). उक्त मामले में, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन के दो साल के भीतर किसी भी पुरस्कार की घोषणा नहीं की। इसके बाद भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) के संदर्भ में मुआवजे के लिए

आवेदन दायर किया। इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार देने में विफलता अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त कर देती है। लेकिन दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 48 सरकार को किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का अधिकार देती है, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है। न्यायालय ने निम्नलिखित दो प्रश्नों की जांच कीः

"(एक) क्या कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित अधिनिर्णय को मंजूरी नहीं देने के सरकार के निर्णय को देखते हुए, घोषणा के प्रकाशन (धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना) की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका और भूमि का अधिग्रहण समाप्त हो गया, क्या अधिग्रहण की कार्यवाही का ऐसा अंतराल अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से वापस लेने के बराबर होगा?

क्या धारा 48 (1) के तहत अधिग्रहण से पीछे हटने का राज्य सरकार का निर्णय अनिवार्य रूप से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है?

पहले प्रश्न के संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः "26. जैसा कि ऊपर देखा गया है, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने प्रस्तावित पुरस्कार के लिए सरकार से मंजूरी मांगी।धारा 11 के पहले परंतुक के अनुसार फ़िस अनिवार्य था। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और प्रस्तावित पुरस्कार को मंजूरी नहीं दी। जब सरकार द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, तो कलेक्टर पुरस्कार नहीं दे सकते थे और वास्तव में उन्होंने नहीं दिया था। इसके परिणामस्वरूप, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई। धारा 11-ए के तहत परिस्थितियों में अधिग्रहण कार्यवाही की चूक धारा 48 के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण से वापस लेने के बराबर नहीं हो सकती है और न ही होगी। हम बिंदु (एक) का उत्तर नकारात्मक में देते हैं।

(21) तथापि, दूसरे प्रश्न के संबंध में, न्यायालय ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड मामले (उपर्युक्त) में निर्णय का अनुसरण किया कि अधिग्रहण को वापस लेने के लिए सरकार के निर्णय को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है। इसलिए, कानून के सिद्धांतों के इस तरह के प्रतिपादन के आलोक में कि राज्य सरकार को भूमि सौंपने के बाद, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से ही अधिग्रहण से पीछे हट सकती है और अन्यथा नहीं।

(22) दिल्ली एयरटेक सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ U.P. के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। (7) उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि भूमि राज्य सरकार में निहित होने के बाद न तो सरकार और न ही न्यायालय अधिनियम की धारा 48 (1) के प्रावधानों का सहारा ले सकता है। इसे निम्नानुसार देखा गयाः "190। किसी साधारण अधिग्रहण के मामले में, यदि भूमि राज्य सरकार में निहित है तो न तो सरकार और न ही न्यायालय अधिनियम की धारा 48 (1) के प्रावधानों का सहारा ले सकता है, वहां अधिनियम की धारा 17 के तहत अधिग्रहण कार्यवाही के लिए अधिनियम की धारा 11-ए को लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्राप्त करने के समान होगा जिसे सीधे प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त सभी कारणों से, मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 11-ए अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

(23) श्री हुड्डा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अधिग्रहण से वापस लेने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 48 के तहत कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है। हम पाते हैं कि केवल उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिग्रहण वापस लेना अधिनियम की योजना के विपरीत है और अवैध है। अधिग्रहण से निकासी एक अधिसूचना के माध्यम से और उसी प्रक्रिया का पालन करके होनी चाहिए जो अधिग्रहण के तरीके में आवश्यक है।

(24) तथापि, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व या अधिनियम की धारा 48 के अनुसार अधिग्रहण से वापस लेने का निर्णय लेने से पूर्व, वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने से पूर्व उच्चाधिकार प्राप्त समिति सहित किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से रिपोर्ट या सुझाव ले सकती है। लेकिन अधिग्रहण वापस लेने का अंतिम आदेश राज्य सरकार से आना चाहिए न कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति से।
(25) इसलिए, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन से पहले या अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से वापस लेने के समय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर सकती है। लेकिन अधिनियम की धारा 15ए के तहत शक्ति अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रयोग में पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के समान है और इसका प्रयोग प्राकृतिक न्याय, समानता और सद्भावना के सिद्धांतों के साथ-साथ कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

(26) तथापि, वर्तमान एक मामला है, उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन पुरस्कार की घोषणा के बाद किया गया था और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 14.03.2006 को कब्जा सौंप दिया था। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 48 के तहत 42 एकड़, 1 कनाल और 11 मरला भूमि के लिए दिनांक 26.04.2006 को अधिसूचना जारी की है। इसलिए, शेष भूमि की रिहाई, यदि कोई हो, क़ानून द्वारा समर्थित नहीं है।

(27) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं किः (i) राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत या अधिनियम की धारा 6 के तहत या धारा 48 के तहत उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण की राय लेने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों के भीतर है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा और अधिसूचना के माध्यम से भी हो सकता है; और (ii) लेकिन यदि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा उसके द्वारा घोषित पुरस्कार के अनुसार कब्जा नहीं लिया गया है, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बिना अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति दे सकती है, यदि वह अब भूमि अधिग्रहण में रुचि नहीं रखती है।
कानून के प्रश्न का उत्तर देने के बाद, उपरोक्त तरीके से, मामले को रोस्टर के अनुसार उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

जे, ठाकुर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)